

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 <sup>24 अक्टूबर</sup> सितम्बर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) नहर निर्माण मद के अन्तर्गत 02 योजनाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-156/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0-27 (एस0सी0एस0पी0), दिनांक 11.01.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) नहर निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर की संलग्नानुसार 02 योजनायें, जिनकी कुल लागत **रु0 64.58 लाख (रूपये चौंसठ लाख अट्ठावन हजार मात्र)** है, को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लागत के सापेक्ष **रु0 25.83 लाख (रूपये पच्चीस लाख तिरासी हजार मात्र)** की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
- 2- व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो तथा योजना की पुनरावृत्ति न हो रही हो योजना अन्य विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने अथवा योजना की पुनरावृत्ति होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
- 3- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
- 4- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- 5- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 6- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
- 7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 8- उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।


क्रमशः-2-

- 9- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाये। यदि उक्त अवधि के उपरान्त धनराशि शेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जाय।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत-06-निर्माणाधीन कैनल-001-निदेशन तथा प्रशासन-02-अन्य रख-रखाव व्यय-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-266/XXVII(2)/2021, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,  
/  
(हरिचन्द्र सेमवाल)  
सचिव।

संख्या- 1516 (1) / 11(2) / 2021-03(69) / 2015टी0सी0 तददिनांकित  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद-देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
- 7- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

अज्ञा से,  
  
(जे0एल0 शर्मा)  
संयुक्त सचिव।